

WORN WOR

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम




पॉक्सो अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) 2012 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था ताकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमले और बाल अश्लीलता जैसे अपराधों से रोका जा सके।



यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बच्चे के खिलाफ जघन्य अपराध और यौन हमले को कम करने के लिए लाया गया था।



यह अधिनियम लिंग तटस्थ है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे-बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करता है।



यह यौन सम्बन्धी अपराधों के त्वरित जांच के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019



- संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन अपराध करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और यदि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध किया जाता है तो उसे 20 साल तक का कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- ✓ महिलाओं से रेप के मामले में दोषी को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा होगी.
- ✓ यह अधिनियम मुख्य रूप से बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को निर्धारित करता है जैसे कि प्रवेशन (penetrative) यौन हमला, गंभीर प्रवेशन यौन हमला और गंभीर यौन हमला।









WORN LACE

पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान

पुलिस को रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष लाना आवश्यक है, ताकि समिति बच्चे की सुरक्षा और रक्षा के लिए अपेक्षित आगे की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठा सके।

बच्चे को डराने से बचने के लिए पूछताछ करते समय पुलिस को साधारणपोशाक पहननी चाहिए। पीड़िता की मेडिकल जांच माता-पिता या अन्य व्यक्ति (जिस पर बच्चे को भरोसा हो) की उपस्थिति में की जानी चाहिए और महिला बच्चे के मामले में यह महिला डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए।


1

5

यह अधिनियम मामलों की रिपोर्ट करने, बाल पीड़ित के बयान दर्ज करने और बच्चों की पहचान प्रकट किए बिना ऐसे अपराधों के त्वरित और बंद कमरे में सुनवाई के लिए विशेष प्रक्रियाओं का गठन करने का प्रावधान करता है।

बच्चे को बार-बार कोर्ट रूम में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए।

पॉक्सो एक्ट की आवश्यकता





WILLIAM WILLIAM

समस्या और चुनौतियां


- सहमित की आयु:
- चिकित्सा जांचः
- 🔿 बाल विवाह : पॉक्सो अधिनियम के तहत, 18 वर्ष से कम आयु की बाल वधु के जीवनसाथी को दंडित किया जा सकता है।
- लम्बित मामले:



आगे की राह


एक बच्चे का यौन शोषण उसकी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अवसाद, भावनात्मक पीड़ा और मानसिक दुर्बलता हो सकती है। बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक द्वारा ही किया जाना चाहिए। अतः महिला चिकित्सक या महिला चिकित्सा अधिकारी की संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए। विशेष अदालत द्वारा अपराध को संज्ञान में लेने के एक वर्ष के भीतर पॉक्सो का मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। इस तरह की जानकारी सामने आने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित की गवाही दर्ज की जानी चाहिए।





POCSO Act

Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act



The POCSO Act
(Protection of
Children from Sexual
Offences) was
enacted by the
Parliament in 2012
to prevent children
aged less than 18
from offences like
sexual harassment.



It was introduced under the Ministry of Women and Child Development, to reduce the heinous crime and sexual assault against the child.



This Act is gender neutral which provides protection to children of both sexes under the age of 18 years.



It provides for establishment of Special Courts for the purpose of speedy trial of such offences.

Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Act, 2019



- ✓ According to the amendment Act, if a person commits sexual offences against children below 12 years of age, he will be punished with death penalty or life imprisonment and if the sexual offence with child below the age of 16 years, he will be punished with imprisonment upto 20 years, which may extend to life imprisonment with a fine
- ✓ In case of rape with women, offender will be punished with an imprisonment of 10 years to life imprisonment.
- ✓ This Act prescribes mainly sexual offences against children such as penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault and aggravated sexual assault.







POCSO Act

Provisions of POCSO Act

The police are required to bring the child to the attention of the Child Welfare Committee (CWC) within 24 hours of receiving the report.

The police should wear a simple attire while questioning, to avoid frightening to the child.

Medical examination of the victim should be done in the presence of the parent or other person whom the child trusts.

1

2

The Act provides for the establishment of special procedures for reporting of cases, recording statement of the child victim without revealing the

identity of the children.

The child is not to be repeatedly called to testify in court room.

Need of POCSO Act





POCSO Act

Issues and Challenges

- O Age of consent
- **O** Medical examination
- O Child marriage: Under the POCSO Act, the spouse of a child bride below the age of 18 can be penalized.
- O Pendency of cases



Way Forward

Sexual abuse of a child causes mental health issue which results in depression, emotional anguish, and mental impairment.

The medical examination of a female child should be done only by a female medical officer or doctor. The number of female doctor or female medical officer should be made more available.

A POCSO trial should be completed within one year from the special court taking cognisance of the offence. The evidence of the victim should be recorded within 30 days of such cognisance.

